कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड,मुजफ्फरनगर

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–02/अधि0अभि0न0नि0ख0मु0/2022–23

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के नियन्त्रणाधीन भण्डार में उपलब्ध एम0एस0 स्क्रैप की सार्वजनिक नीलामी प्रमुख अभियन्ता (यां0) सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–246/सज्जा–1–3–10/निस्तारण की प्रक्रिया दिनॉक–22.03.2005 के क्रम में **दिनॉक–03.08.2022 को इस खण्ड के परिसर में अपरान्ह 02.00 बजे खुली बोली द्वारा** की जायेगी।

बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 नियम 260 ए के परिशिष्ठ 19 डी में उल्लेखित नियम व शर्तो के अधीन होगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार **आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित धरोहर धनराशि का बैक ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में देय हो, के रूप में दिनॉक–03.08.2022 को प्रातः 10.00 बजे से 01.00 बजे तक** जमा करना होगा। नीलामी हेतु एम0एस0 स्क्रैप का अवलोकन इस कार्यालय के मुजफ्फरनगर स्थित भण्डार परिसर में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। नीलामी जो है, जैसा है के आधार पर होगी। नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कर्ता समिति अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। नीलामी की तिथि को आकस्मिक सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति मे नीलामी अगले कार्य दिवस को नियत समय पर की जायेगी।

अधिकतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 25 प्रतिशत धरोहर के रूप में नीलामी के दिन ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उसकी टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त 07 दिवस के अन्दर शेष धनराशि व देय जी0एस0टी0 सहित जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी 25 प्रतिशत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अधिकतम बोलीदाता व द्वितीय अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों/फर्मो/ठेकेदार की धरोहर धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी। द्वितीय बोलीदाता की धरोहर धनराशि, प्रथम बोलीदाता द्वारा शेष धनराशि जमा करने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी। अन्य नियम एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकित की जा सकती है। यह माना जायेगा कि बोलीदाता सम्बन्धित नियम/शर्तो की पूरी जानकारी रखता है।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	धरोहर धनराशि	नीलामी की तिथि	नीलामी का स्थान
1	एम0एस0 स्क्रैप	10 मीट्रिक टन	38000	03.08.2022	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर, निकट सुजडू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

नोट– कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये गाईडलाईन/निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड मुजफ्फरनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर

सार्वजनिक नीलामी सूचना–02/अधि0अभि0न0नि0ख0मु0/2022–23 के नियम एवं शर्ते

1. टोकन राशि इच्छुक ठेकेदार/फर्म द्वारा दिनॉक–03.08.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में देय होगा, को खण्डीय कैशियर के पास जमा करानी होगी, जो कि नीलामी स्थल पर ही स्थित कार्यालय में जमा करायी जायेगी। निश्चित अवधि के उपरान्त किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई भी प्रमाण–पत्र अथवा बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. बिना जमानत/टोकन राशि जमा कराये कोई भी ठेकेदार/फर्म नीलामी में भाग नही लेगा।
3. फर्म अथवा बोलीदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवेश नही करेगा।
4. अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी मे भाग लिये जाने की स्थिति मे वैध अधिकार पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. फर्म व बोलीदाता के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 नंबर, पैन नम्बर तथा फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड नीलामी से पूर्व मॉगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
7. विक्रय मूल्य पर जी0एस0टी0 व अन्य कर नियमानुसार देय होगा तथा निर्धारित दरों से वसूल किया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उनकें द्वारा जमा टोकन/धरोहर धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9. नीलामी द्वारा बोली तभी स्वीकृत मानी जायेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा उनकी अनुमति प्रदान कर दी जायेगी।
10. नीलामी के पश्चात् यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है तो बोलीदाता के द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस कर दी जायेगी और उस स्थिति में बोलीदाता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति ब्याज इत्यादि का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर शेष धनराशि एवं नियमानुसार देय कर आदि जमा करानी होगी, अन्यथा 25 प्रतिशत जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमें दी गयी समय अवधि के अन्दर बोलीदाता को सामग्री उठानी अनिवार्य होगी।
13. समयावधि में सामग्री न उठाने की दशा में होने वाली सामग्री की क्षति का बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृति उपरान्त, बोलीदाता द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री उठाते समय यदि किसी श्रमिक आदि को कोई चोट अथवा अन्य हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
15. निष्प्रयोज्य सामग्री उठाते समय यदि किसी राजकीय सम्पत्ति को कोई नुकसान पहॅुचाया जाता है तो सम्बन्धित बोलीदाता के विरूद्ध कार्यावाही की जायेगी।
16. नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका आर्बीट्रेशन अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, सहारनपुर के द्वारा किया जायेगा विवादित प्रकरण यदि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नलकूप मण्डल, सहारनपुर से ऊपर जाता है तो प्रकरण मुजफ्फरनगर न्यायालय में ही मान्य होगा।
17. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
18. विज्ञप्ति में सूचित किसी भी सामान की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
19. निर्धारित शर्तो का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड,मुजफ्फरनगर